उत्तर प्रदेश सरकार का त्वरति न्याय की दशिा में प्रयास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के गृह वभिाग ने पछिले वर्षों में हुई कार्रवाई को आधार बनाते हुए प्रभावी पैरवी की कार्ययोजना तैयार की है।

प्रमुख बदिु

- छह माह की इस कार्ययोजना में मृत्युदंड की सज़ा वाले अपराधों में अभयिुक्तों और उम्रकैद की सज़ा वाले 300 अभयिुक्तों को जेल भजिवाने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसी प्रकार पॉक्सो एक्ट के तहत तेज़ी से पैरवी कर 10 प्रकरणों में आरोपति को 1 माह के भीतर सज़ा दलिाई जाएगी।
- इसी प्रकार गृह वभिाग द्वारा एक-दो वर्षीय कार्ययोजना का भी नरि्माण कयिा गया है।
- गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश का 2019 में महलिाओं के प्रतिअपराधों में सज़ा दलिाने का प्रतशित 55.2 था, जो 2020 में बढ़कर 61 हो गया।
- महलिाओं की सुरक्षा की दृष्टि से ही प्रदेश में मशिन शक्ति की शुरुआत की गई थी। साथ ही उत्तर प्रदेश डजिटिल इंडयिा मशिन के तहत ई-प्रासीक्यूशन पोर्टल पर सूचनाएँ दर्ज कराने के मामले में भी सबसे आगे है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttar-pradesh-government-s-efforts-towards-speedy-justice